PLUTUS IAS

CURRENT AFFAIRS

Argasia Education PVT. Ltd. (GST NO.-09AAPCAI478E1ZH)
Address: Basement C59 Noida, opposite to Priyagold Building gate, Sector 02, Pocket I, Noida, Uttar Pradesh, 201301, CONTACT NO:-8448440231

Date –27- March 2025

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025

खबरों में क्यों ?

- वन हमारे ग्रह की जीवन रेखाएं हैं, जो लाखों लोगों को ऑक्सीजन, भोजन, औषधि और आजीविका प्रदान करते हैं। अपने पारिस्थितिक महत्व से परे, जंगल वैश्विक खाद्य सुरक्षा के स्तंभ हैं, जो फल, बीज, जड़ें और जंगली मांस जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, जो स्वदेशी और ग्रामीण समुदायों का समर्थन करते हैं। हर साल 21 मार्च को दुनिया सभी प्रकार के वनों का जश्न मनाने, पेड़ों और जंगलों के महत्व को पहचानने और उनकी रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाती है।

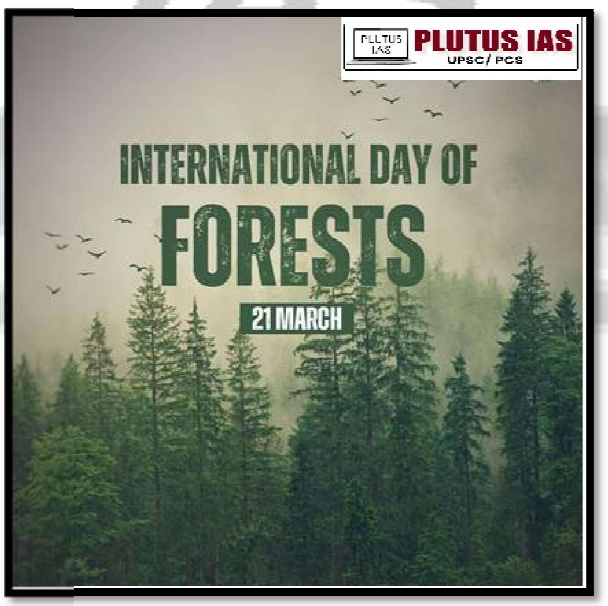

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस क्या है?

- हर साल 21 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जंगलों और पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा स्थापित एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जैव विविधता का समर्थन करने और मानव कल्याण में योगदान देने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है।
- यह दिन इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए वृक्षारोपण, संरक्षण प्रयासों और टिकाऊ वन प्रबंधन जैसे कार्यों को बढ़ावा देता है। दुनिया भर में विभिन्न संगठन, सरकारें और व्यक्ति उन गतिविधियों और चर्चाओं में भाग लेते हैं जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और हरित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वन संरक्षण और बहाली की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

भारत के वन सांख्यिकी :

वर्ग	**विवरण**
कुल वन एवं वृक्ष आवरण	8,27,357 वर्ग किमी (भारत के क्षेत्रफल का 25.17%)
वन आवरण	7,15,343 वर्ग किमी (कुल क्षेत्रफल का 21.76%)
वृक्ष आवरण	1,12,014 वर्ग किमी (कुल क्षेत्रफल का 3.41%)
हरित आवरण में वृद्धि (2021 से)	1,445 वर्ग कि.मी
वन आवरण में वृद्धि	156 वर्ग कि.मी
वृक्ष आवरण में वृद्धि	1,289 वर्ग कि.मी
शीर्ष राज्य (वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि)	छत्तीसगढ़ (684 वर्ग किमी), उत्तर प्रदेश (559 वर्ग किमी), ओडिशा (559 वर्ग किमी), राजस्थान (394 वर्ग किमी)
शीर्ष राज्य (वन आवरण वृद्धि)	मिजोरम (242 वर्ग किमी), गुजरात (180 वर्ग किमी), ओडिशा (152 वर्ग किमी)
सबसे बड़ा वन एवं वृक्ष आवरण (क्षेत्रवार)	1. मध्य प्रदेश (85,724 वर्ग किमी) 2. अरुणाचल प्रदेश (67,083 वर्ग किमी) 3. महाराष्ट्र (65,383 वर्ग किमी)
सबसे बड़ा वन क्षेत्र (केवल)	1. मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग किमी) 2. अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग किमी) 3. छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग किमी)
उच्चतम वन आवरण (राज्य के क्षेत्रफल का प्रतिशत)	1. लक्षद्वीप (91.33%) 2. मिजोरम (85.34%)

	3. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (81.62%)

भारत में वन संरक्षण के लिए सरकारी नीतियां :

वर्ग	विवरण
राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना	किसानों को जलवायु लचीलेपन, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक लाभ के लिए कृषिवानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
कार्यान्वयन	नर्सरी और टिशू कल्चर इकाइयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम)

रणनीति	पर ध्यान केंद्रित करता है। आईसीएआर-सेंट्रल एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएएफआरआई) नोडल एजेंसी है। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के लिए ICFRE, CSIR, ICRAF और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करता है।
बाज़ार एवं आर्थिक सहायता	खेत में उगाए गए पेड़ों के लिए मूल्य की गारंटी और बाय-बैक विकल्प प्रदान करता है। कृषि वानिकी उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यह भारत के बाजरा को बढ़ावा देने के अनुरूप है, जो वृक्ष-आधारित कृषि प्रणालियों में पनपता है।
फंडिंग एवं सहायता	सरकार नर्सरी और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
हरित भारत मिशन (जीआईएम)	जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वन आवरण का विस्तार, बहाली और वृद्धि करना है।
मिशन आरंभ वर्ष	2015-16 (वित्त वर्ष)
मिशन लक्ष्य	5 मिलियन हेक्टेयर (एमएचए) तक वन/वृक्ष क्षेत्र का विस्तार करें। अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर वन और गैर-वन भूमि की गुणवत्ता में सुधार करें। कार्बन भंडारण, जल प्रबंधन और जैव विविधता को बढ़ाना। वन-आधारित आय के माध्यम से 3 मिलियन परिवारों की आजीविका में सुधार करना।
जीआईएम के उप-मिशन	**1. वन आवरण बढ़ाना:** वन गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार। **2. पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली:** पुनः वनीकरण और वन आवरण बढ़ाना। **3. शहरी हरियाली:** शहरों और आसपास के क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाना। **4. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी:** बायोमास को बढ़ावा देना और कार्बन सिंक बनाना। **5. आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन:** महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित और संरक्षित करना।

भारत में वनों का ह्रास

1. वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन: कृषि, बुनियादी ढांचे और शहरीकरण के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से वन क्षेत्र और जैव विविधता कम हो जाती है।

2. अवैध कटाई एवं लकड़ी निष्कर्षण: इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों की अनियमित कटाई से निवास स्थान का विनाश होता है।

3. अतिक्रमण एवं आवास विखंडन: मानव बस्तियों, खेती और औद्योगिक विस्तार के परिणामस्वरूप जंगलों का विखंडन होता है, जिससे वन्यजीवों की आवाजाही और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन प्रभावित होता है।

4. जंगल की आग: प्राकृतिक और मानव-प्रेरित दोनों तरह की आग विशाल वन क्षेत्रों को नष्ट कर देती है, जैव विविधता को कम करती है और कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती है।

5. खनन एवं औद्योगिक गतिविधियाँ: खुले में खनन, उत्खनन और औद्योगिक प्रदूषण मिट्टी की गुणवत्ता को ख़राब करते हैं और वन पारिस्थितिकी तंत्र को परेशान करते हैं।

6. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और चरम मौसम की घटनाओं से वनों पर दबाव पड़ता है, जिससे वृक्षों की मृत्यु और जैव विविधता की हानि होती है।

7. आक्रामक प्रजातियाँ: गैर-देशी पौधों की प्रजातियाँ, जैसे लैंटाना और पार्थेनियम, वन संरचना को बदलते हुए, देशी वनस्पतियों को मात देती हैं।

8. अत्यधिक चराई और अधारणीय कृषि: पशुधन की अत्यधिक चराई और स्थानान्तरित कृषि पद्धतियों के कारण मिट्टी का क्षरण होता है और वनस्पति की हानि होती है।

वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आगे का रास्ता :

1. **वनीकरण और पुनर्वनीकरण पहल को मजबूत करना:** ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) और प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) जैसे कार्यक्रमों का विस्तार करें।
2. **कानूनी और नीतिगत ढाँचा बढ़ाएँ:** वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन को मजबूत करें। अवैध वनों की कटाई और अतिक्रमण के लिए सख्त दंड लागू करें।
3. **सतत वन प्रबंधन (एसएफएम):** समुदाय-आधारित संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) कार्यक्रम अपनाएं। स्थायी आजीविका के लिए पर्यावरण-पर्यटन और गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एनटीएफपी) उद्योगों को प्रोत्साहित करें।
4. **सामुदायिक भागीदारी और स्वदेशी ज्ञान:** संरक्षण प्रयासों में आदिवासी और वन-निवासी समुदायों को शामिल करें। वन संरक्षण के लिए पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को पहचानें। संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों को संतुलित करने के लिए 2006 के वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करें।
5. **वन क्षरण एवं भूमि उपयोग परिवर्तन पर सख्त नियंत्रण:** शहरीकरण और खनन के कारण वनों की कटाई को रोकने के लिए नीतियां लागू करें। नष्ट हुए वनों के लिए भूमि सुधार तकनीकों को बढ़ावा देना।

   न्यूनतम पारिस्थितिक क्षति के साथ स्थायी बुनियादी ढांचे के विकास को लागू करें।

PLUTUS IAS

6. **जंगल की आग की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय:** जंगल की आग का पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और उपग्रह निगरानी का उपयोग करें। आग की रोकथाम और नियंत्रण रणनीतियों के लिए स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करें।
7. अग्नि लाइनें स्थापित करें और संवेदनशील क्षेत्रों में आग प्रतिरोधी प्रजातियों को तैनात करें।
8. **ख़राब भूमि और आर्द्रभूमि को बहाल करना:** जलसंभर प्रबंधन और मृदा संरक्षण के लिए कार्यक्रमों को मजबूत करना। जलवायु लचीलेपन के लिए आर्द्रभूमि, मैंग्रोव और तटवर्ती वनों को पुनर्स्थापित करें।
9. **कृषि वानिकी और सतत कृषि को बढ़ावा देना:** पेड़ों को कृषि भूमि में एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का विस्तार करें। कृषिवानिकी-आधारित प्रथाओं के लिए प्रोत्साहन देकर किसानों का समर्थन करें।

निष्कर्ष :

- पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और आजीविका बनाए रखने के लिए वन संरक्षण महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक नवाचारों, कानूनी ढांचे और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत करके, भारत आर्थिक और पारिस्थितिक लाभ सुनिश्चित करते हुए अपने वन संरक्षण प्रयासों को बढ़ा सकता है। भावी पीढ़ियों के लिए भारत के जंगलों की सुरक्षा के लिए बहु-हितधारक सहयोग, नीतियों का सख्त कार्यान्वयन और समुदाय-संचालित दृष्टिकोण आवश्यक होंगे।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में वन संरक्षण पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
2. राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति का उद्देश्य जलवायु लचीलेपन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों को कृषि भूमि में एकीकृत करना है।
3. वन संरक्षण अधिनियम, 1980, मुख्य रूप से वन-निवास समुदायों को भूमि अधिकार देने पर केंद्रित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में वन क्षरण के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें और वन संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएं। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)